भारत को बाल तस्करी (Child Trafficking) से कैसे निपटना चाहिए?

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** संविधान, न्यायपालिका, बाल अधिकार, शासन।
- **GS पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध, सामाजिक न्याय।

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने **के.पी. किरण कुमार बनाम राज्य** मामले में बाल तस्करी को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए। न्यायालय ने टिप्पणी की कि तस्करी अनुच्छेद 21 के तहत बच्चे के जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है। बड़े पैमाने पर बचाव कार्यों के बावजूद (अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच 53,000 से अधिक बच्चे), भारत में दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) 2018-2022 के दौरान मात्र 4.8% रही है, जो कानून प्रवर्तन और संस्थागत कमियों को उजागर करती है।

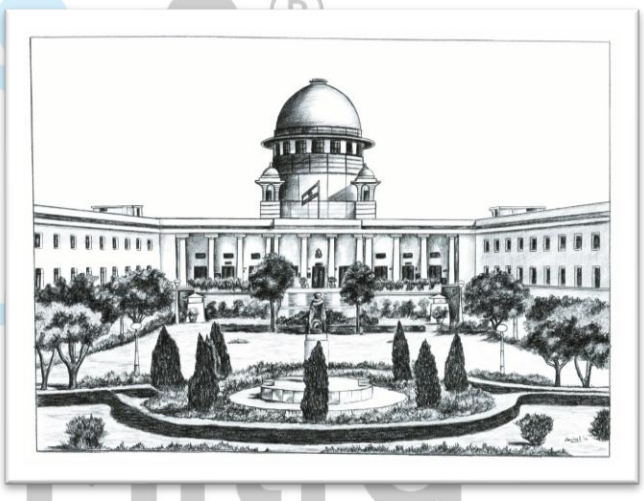

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

बाल तस्करी को समझना: कानूनी परिभाषा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, **पालेर्मो प्रोटोकॉल (2000)** बाल तस्करी को इस प्रकार परिभाषित करता है:

- शोषण के उद्देश्य से किसी बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण देना या उसे प्राप्त करना।

भारत में, **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 143** तस्करी को व्यापक रूप से परिभाषित करती है, जिसमें शामिल हैं:

- भर्ती, परिवहन, आश्रय या प्राप्ति।
- बल, जबरदस्ती, धोखे, शक्ति के दुरुपयोग या प्रलोभन के माध्यम से।
- शोषण के उद्देश्य से।

शोषण में शामिल हैं:

- यौन और शारीरिक शोषण।
- दासता और बंधुआ मजदूरी।
- जबरन श्रम।
- अंगों को जबरन निकालना।

महत्वपूर्ण नोट: तस्करी के मामलों में, विशेष रूप से बच्चों के मामले में, पीड़ित की 'सहमति' का कोई महत्व नहीं होता है।

IAS-PCS Institute

बच्चों का संवैधानिक संरक्षण

भारतीय संविधान बच्चों के शोषण के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा उपाय प्रदान करता है:

- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी, जबरन श्रम और बेगार को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 24:** खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है।
- **अनुच्छेद 39(e) और (f):** राज्य को बच्चों के दुरुपयोग, शोषण और परित्याग से सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 21:** गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जिसे न्यायालयों ने तस्करी से सुरक्षा को शामिल करने के लिए विस्तृत किया है।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

इस प्रकार, बाल तस्करी केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि यह एक **संवैधानिक उल्लंघन** है।

बाल तस्करी के विरुद्ध वैधानिक ढांचा (Statutory Framework)

भारत ने एक व्यापक कानूनी शासन लागू किया है:

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 (धारा 98, 99, 143):** नाबालिगों की खरीद-फरोख्त और तस्करी से संबंधित।
- **अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956:** यौन शोषण और वेश्यावृत्ति पर रोक।

- **पोक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012:** यौन हमला, उत्पीड़न और बाल पोर्नोग्राफी के विरुद्ध सख्त सजा (लिंग-तटस्थ कानून)।
- **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** बच्चों का बचाव, पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण।
- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013:** तस्करी की परिभाषा का विस्तार। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश भर में लगभग 400 **पोक्सो फास्ट-ट्रैक अदालतें** कार्यरत हैं।

IAS-PCS Institute

न्यायिक दृष्टिकोण: सजा से रोकथाम की ओर

सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर मानवीय और निवारक दृष्टिकोण अपनाया है:

- **विशाल जीत बनाम भारत संघ (1990):** तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति को गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या माना और निवारक रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया।
- **एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996):** खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए।
- **बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2011):** बाल तस्करी और शोषण के खिलाफ व्यापक उपायों का निर्देश दिया।

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

- **के.पी. किरण कुमार बनाम राज्य (2024):** दोहराया कि तस्करी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और सख्त प्रवर्तन का आह्वान किया।

बाल तस्करी क्यों बनी हुई है?

कानूनों के बावजूद, गहरी सामाजिक-आर्थिक कमजोरियों के कारण तस्करी जारी है:

1. सामाजिक-आर्थिक कारक:

- गरीबी और बेरोजगारी।
- पलायन और विस्थापन।

- प्राकृतिक आपदाएँ।
- पारिवारिक संरचनाओं का टूटना।

2. नए जमाने की चुनौतियाँ:

- भर्ती के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग।
- नौकरी के फर्जी प्रस्ताव, मॉडलिंग के अवसर और 'ग्रूमिंग'।

IAS-PCS Institute

3. संस्थागत कमजोरियाँ:

- दोषसिद्धि की कम दर।
- जांच और समन्वय में कमी।
- पीड़ितों के पुनर्वास और फॉलो-अप की कमजोर व्यवस्था।

केंद्र-राज्य सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है?

- पुलिस और कानून-व्यवस्था **राज्य के विषय** हैं।
- तस्करी के नेटवर्क **अंतर-राज्यीय** स्तर पर काम करते हैं।
- बचाव, पुनर्वास, अभियोजन और निगरानी के लिए संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता होती है। मजबूत समन्वय के बिना, तस्कर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों की कमियों का फायदा उठाते हैं, जिससे न्याय में देरी होती है और 'पुनः तस्करी' (Re-trafficking) का खतरा बना रहता है।

@resultmitra www.resultmitra

आगे की राह (Way Forward)

एक बहु-आयामी रणनीति आवश्यक है:

- **रोकथाम को मजबूत करना:** गरीबी, पलायन जोखिम और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। सामुदायिक जागरूकता और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।

- **प्रवर्तन में सुधार:** पेशेवर जांच और पीड़ित-संवेदी पुलिसिंग। निवारक प्रभाव पैदा करने के लिए दोषसिद्धि दर में वृद्धि करना।
- **प्रौद्योगिकी का लाभ:** ऑनलाइन भर्ती प्लेटफॉर्म की निगरानी करना और साइबर पुलिसिंग इकाइयों को मजबूत करना।
- **पीड़ित-केंद्रित पुनर्वास:** शिक्षा, परामर्श और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें फिर से तस्करी का शिकार होने से बचाया जा सके।
- **संस्थागत समन्वय:** डेटा साझाकरण और ट्रैकिंग के लिए मजबूत केंद्र-राज्य सहयोग तंत्र।

IAS-PCS Institute

निष्कर्ष

भारत में बाल तस्करी केवल आपराधिक न्याय का मुद्दा नहीं है—यह एक मानवाधिकार और संवैधानिक चुनौती है। यद्यपि भारत के पास मजबूत कानून और न्यायिक समर्थन है, लेकिन कमजोर प्रवर्तन और सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ शोषण को बढ़ावा देती हैं। प्रभावी केंद्र-राज्य समन्वय, उच्च दोषसिद्धि दर और बच्चों के सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से ही भारत तस्करी नेटवर्क को निर्णायक रूप से ध्वस्त कर सकता है।

Result
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

UPSC प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. भारत में बाल तस्करी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पालेर्मो प्रोटोकॉल केवल महिलाओं की तस्करी पर लागू होता है और इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं।
2. भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत तस्करी के मामलों में पीड़ित की सहमति अप्रासंगिक (Irrelevant) है।
3. अंगों को जबरन निकालना भारतीय कानून के तहत शोषण के दायरे में शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 2 और 3 B) केवल 1 और 2 C) केवल 1 और 3 D) 1, 2 और 3

सही उत्तर: A

प्रश्न 2. भारत में बच्चों के संवैधानिक संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है।
2. अनुच्छेद 24 गैर-खतरनाक उद्योगों में बच्चों के नियोजन की अनुमति देता है।
3. अनुच्छेद 39(e) और (f) राज्य को बच्चों को शोषण और परित्याग से बचाने का निर्देश देते हैं।

IAS-PCS Institute

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A) केवल 1 और 3 B) केवल 1 C) केवल 2 और 3 D) 1, 2 और 3

सही उत्तर: A

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Question)

प्रश्न: "एक मजबूत कानूनी और संवैधानिक ढांचे के बावजूद, भारत में कम दोषसिद्धि दर के साथ बाल तस्करी की समस्या बनी हुई है।" भारत में बाल तस्करी के निरंतर प्रचलन के कारणों पर चर्चा कीजिए और परीक्षण कीजिए कि कैसे मजबूत केंद्र-राज्य समन्वय रोकथाम, अभियोजन और पुनर्वास में सुधार कर सकता है। (GS पेपर II / III – 15 अंक)

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806